



609/1

दूरभाष 2286709  
2286710

नव चेत्ना केन्द्र 10 जशोक मार्ग, लखनऊ 220001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : ५७७३/०५/७६/एक/२०१५-१६  
संदेश में

दिनांक : ३ मार्च २०१६

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-कानपुर देहात।

विषय : वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में सूडा द्वारा आपके जनपद (हूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-३७/८३) में निर्मालित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है—

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक आफ बड़ीदा	HSC Code BARBOMATIXX	(धनराशि लाख रु० में)	
30700100005611		4.406	

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वर्सी/वार्ड का नाम	द्वितीय किशा की धनराशि का प्रेषण
1	कानपुर देहात	अल्पसंख्यक-३७ बजट	न००पा०५० पुखराया	वार्ड-०० ०४ बालमीकि नगर में गुन्ना के मकान से निजाम के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	0.927
2	कानपुर देहात	अल्पसंख्यक-३७ बजट	न००प० रुरा	वार्ड-०० ९ जवाहर नगर में मैराज के फार्म हाउस से पानी की टक्की तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	2.916
3	कानपुर देहात	अल्पसंख्यक-३७ बजट	न००प० रुरा	वार्ड-०८, गांधी नगर में मुस्ताक के मकान से शहीद के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	0.563
	योग				4.406

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में री०री० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-३७/८३) में निर्मालित विवरण के अनुसार दिया जायेगा।

- १— उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में री०री० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत री०पी०आ०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जायें।
- २— स्थानीय रत्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से सम्बन्धित स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- ३— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम रत्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- ४— अवमुक्त की जा रही धनराशि के राष्ट्रेष्य यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनानागत कार्य हेतु पूर्व में साथ्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई हे तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शारकीय धन का दुखपयोग न होने पाये, अन्यथा की रिक्तियों में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- ५— स्थानीय रत्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जाएं उनमें पारदर्शिता के राष्ट्र मुण्डता सुनिश्चित की जाये एवं साथ्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वाय्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- ६— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुरिका के सुरागत प्राविधिकों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।



609/2

पुस्तक - 2286709  
2286710

नव चेताना केन्द्र, 10 ब्रह्मोदय मार्ग, लखनऊ 220001

## राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

- 7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई वादा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभियान को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभियान को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्त्ती के अनुसार निर्दित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही रामय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कठीनी सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्त्ती के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवहार अनुमत्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभियान मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी रांगुलता रूप से उत्तरदायी होंग।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमत्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्ताप्रकर कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभियान को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल जग्जप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक(लाल जग्जप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

## पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, सम्बन्धित जनपद।
- अपर निदेशक, सूडा।।।
- अधिकारी अभियन्ता—सूडा
- कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।